

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर, म.प्र.

क्रमांक/ 262-63/खनिज /ई-निलामी सूचना/रेत/2022 बुरहानपुर, दिनांक 19/07/2022

//रेत खनिज की ई-निविदा सूचना//

सर्व साधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में म.प्र. रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 अंतर्गत समूहवार रेत खदानों के निविदाओं के माध्यम से संचालन के लिए निविदा आवंटित करने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जिले में स्थित रेत खदानों संचालन हेतु पूर्व की निविदा में निर्धारित मात्रा (वार्षिक) घनमीटर एवं 250 रूपयें प्रति घनमीटर (अन्य करो के अतिरिक्त) शेष अवधि हेतु (30 जून, 2023 तक) संचालन के लिए एन.आई.टी. के ऑनलाईन पोर्टल <https://mptender.gov.in> के माध्यम से तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय निविदाएं आमंत्रित करता है। प्रत्येक समूह हेतु 25 प्रतिशत सुरक्षा निधि के साथ ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत किये जाने की प्रारंभिक तिथि 01/08/2022 (पूर्वाह्न 11.00 बजे) एवं निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि 16/08/2022 (अपरान्ह 05.00 बजे) तक रहेगी।

निविदा की विस्तृत प्रक्रिया समूह का विवरण, अनुबंध का प्रारूप, विस्तृत शर्तें तथा प्रक्रिया का विवरण <http://mptender.gov.in> के अतिरिक्त जिले के पोर्टल/वेबसाइट म.प्र. राज्य खनिज निगम की अधिकृत वेबसाइट <http://www.mpsmncl.mp.gov.in> तथा संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के पोर्टल <http://ekhanij.mp.gov.in> पर भी उपलब्ध है। म.प्र. रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 भी निगम की उक्त वेबसाइट एवं खनिज साधन विभाग की वेबसाइट <http://www.mineralsources.mp.gov.in> पर उपलब्ध है। निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार के संशय के निवारण हेतु ई-मेल [modgmbur@mp.gov.in](mailto:modgmbur@mp.gov.in) पर पृच्छा भेजी जा सकती है साथ ही ई-निविदा प्रस्तुत करने हेतु निविदाकार के डिजिटल सिग्नेचर (क्लास-III) आवश्यक होंगे। बुरहानपुर जिले की निविदात मात्रा एवं निविदा हेतु शासकीय मूल्य का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	समूह का नाम एवं जिला	समूह में सम्मिलित रेत खदानों की संख्या	समूह की निविदा हेतु कुल मात्रा (घ.मी.)	निविदा हेतु शासकीय मूल्य (अपसेट प्राइज) रूपयें 250 प्रतिघनमीटर
1	2	3	4	5
1	बुरहानपुर	09	3,00,000	7,50,00,000/-

ऑनलाईन निविदा की प्रक्रिया <http://mptender.gov.in> पर संपादित की जावेगी।




..//2//..

तदनुसार निविदा कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

क्र.	रेत खदान/समूह की निविदा संबंधी कार्यक्रम	दिनांक
1	निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि	27/07/2022
2	निविदा प्रपत्र डाउलोडिंग प्रारंभ होने की तिथि	29/07/2022
3	ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत किया जाना प्रारंभ तिथि	01/08/2022 (पूर्वाह्न 11.00 बजे)
4	निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि	16/08/2022 (अपरान्ह 05.00 बजे)
5	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	18/08/2022 (अपरान्ह 02.00 बजे)
6	वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि	19/08/2022 (अपरान्ह 02.00 बजे)

ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निविदा प्रक्रिया में कोई तकनीकी त्रुटि या अन्य विसंगति परिलक्षित होती है तो जिला कलेक्टर द्वारा नियमानुसार निविदा दस्तावेजो/शर्तो में सुधार किया जा सकेगा तथा जिसकी जानकारी जिले की वेबसाईट एवं <http://www.mpsmncl.mp.gov.in>, <http://ekhanij.mp.gov.in> एवं <http://mptender.gov.in> में ही प्रदर्शित की जावेगी ऐसा सुधार निविदाकर्ताओ पर बंधनकारी होगा।

संलग्न :- परिशिष्ट-1

  
कलेक्टर  
जिला बुरहानपुर

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

परिशिष्ट-1


ई-निविदा में सम्मिलित रेत खदान/रेत खदानों के समूहों के ब्यौरे रेत खदान/समूह का नाम/क्रमांक - जिला बुरहानपुर

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16/08/2022 समय सांय 05.00 बजे तक

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	अनुमानित रकबा (हे.)	रेत का अनुमानित भण्डार (घ.मी. में)	अनुमानित दर का मूल्य (रु. 250 प्रति घ. मी. अन्य कर अतिरिक्त)
1	बुरहानपुर	बुरहानपुर	सिरसोदा	1	4.000	300000	7,50,00,000 (सात करोड़ पचास लाख)
2		खकनार	रामाखेड़ा	335	4.000		
3		नेपानगर	रत्नापुर	386	4.000		
4		बुरहानपुर	रेहटा	51,96	5.000		
5		बुरहानपुर	गव्हाना	ग्राम गव्हाना, 122, सिरसोदा 318, भातखेड़ा 01, हतनुर 52	5.000		
6		बुरहानपुर	नाचनखेड़ा	1	7.000		
7		बुरहानपुर	सुखपुरी	331, 242	5.500		
8		बुरहानपुर	फतेहपुर	439	13.600		
9		बुरहानपुर	दर्यापुर	209	8.110		

नोट :-

निविदा प्रपत्र की कंडिका-10 ख-परिशिष्ट-1 में समूह में सम्मिलित समस्त रेत खदानों का विवरण खदान का अनुमानित क्षेत्रफल एवं खदान में उपलब्ध अनुमानित मात्रा दर्शित है। ठेकेदार द्वारा समूह रेत निविदत्त मात्रा तक ही खनन किया जा सकेगा। यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह समूह में सम्मिलित प्रत्येक खदान की परिशिष्ट-1 में दर्शित मात्रा हेतु वैधानिक अनुमतियां प्राप्त कर खदानें संचालित करें। अर्थात् निविदत्त मात्रा का खनन समूह में सम्मिलित कपितय खदानों में वैधानिक अनुमतियों के अधीन भी किया जा सकेगा।

  
कलेक्टर  
जिला-बुरहानपुर